

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 13 अगस्त, 2018

शुद्धिपत्र

सा.का.नि. (अ).- भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 754(अ) तारीख 7 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 58/2018-सीमा शुल्क तारीख 7 अगस्त, 2018,-

- (i) पृष्ठ 1 की पंक्ति 15 में, "106" के स्थान पर "106,107" पढ़ें;
- (ii) पृष्ठ 2 की पंक्ति 5 में, "5702 2020" के स्थान पर "5704 20 20" पढ़ें ।

[फा.सं. 354/123/2017-टीआरयू(पार्ट)]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार